भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1626

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: किसान सम्मान योजना का निष्पादन

1626. डॉ. भारती प्रवीण पवारः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा बैंक स्तर पर किसान सम्मान योजना लागू करने हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है क्योंकि कई बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं और उक्त योजना को लागू करने के लिए सकारात्मक रवैया नहीं दिखा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि डिंडोरी और नासिक सहित महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में कई बैंक किसानों को नये ऋण देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): किसानों को बैंक खातों की सेवा प्रदान करने वाले सभी राष्ट्रीयकृत, निजी क्षेत्र और सहकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विभिन्न स्तरों पर सरकार द्वारा वित्तीय सेवा विभाग (वित्त मंत्रालय), आरबीआई, नाबार्ड, राज्य/संघ राज्य सरकारों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)/जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) इत्यादि के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि पीएम-किसान योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि पीएम-किसान योजना के तहत अंतरित की गई धनराशि वास्तव में पात्र लाभार्थी किसानों तक पहुंची है और किसी बकाया ऋण अथवा किसी अन्य बकाया राशि के ऐवज में कोई कटौती अथवा समायोजन तो नहीं किया गया है। सरकार नियमित रूप से बैंकों के साथ संपर्क में है ताकि उक्त योजना के सहज कार्यान्वयन में आने वाली कोई भी बाधा तुरंत दूर की जा सके।

(ख) और (ग): वित्तीय सेवा विभाग ने सूचित किया है कि सरकार हर वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण संवितरण लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंकों ने निरंतर इन लक्ष्यों को पार किया है। पिछले दो वर्षों (2017-18 एवं 2018-19) के लिए महाराष्ट्र सरकार के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित कृषि ऋण लक्ष्य और बैंकों द्वारा प्राप्त उपलब्धि का विवरण, जैसा कि नाबार्ड द्वारा रिपोर्ट किया गया है, निम्नानुसार हैं:

(रूपए करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
2017-18	69650.00	72478.76
2018-19	81335.00	86809.11

****